यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

न. 13/2017

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र कानाराम
2. रामनारायण पुत्र कानाराम
3. महेन्द्र पुत्र केशवराम
4. लालचन्द पुत्र केशवराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगलकला तहसील चौमू जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. भू–प्रबन्धक अधिकारी कार्यालय भू–प्रबन्धक विभाग जयपुर जिला जययपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमू जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उप तहसीलदार उप तहसील गोविन्दगढ जिला जयपुर।
4. प्रभाती पत्नी स्व. बाला
5. रामकुंवार पुत्र स्व. बाला
6. जिनकू पत्नी स्व. शेरसिंह पुत्र स्व. बाला।
7. लाडा देवी पत्नी स्व.शेरसिंह पुत्र स्व बाला
8. राहुल पुत्र शेरसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक माता लाडा देवी ।
9. घीसाराम पुत्र मन्ना
10. रिछपाल पुत्र मन्ना
11. रागेश्वर पुत्र मन्ना
12. गुलाब पुत्री मन्ना पत्नी पन्ना जाति जाट निवासी ग्राम नांगलकला हाल निवासी कोटडी धायलान तहसील श्रीमोधोपुर जिला सीकर ।
13. किशनी पुत्र मन्ना पत्नी अर्जुलाल जाति जाट निवासी ग्राम नांगलकला हाल निवासी ग्राम बघाल तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर ।
14. मोहनी देवी पत्नी स्व.सुरजा
15. श्रवणी देवी पत्नी स्व. सुरजा
16. सुरेश पुत्र स्व.सुरजा
17. कमलेश पुत्र स्व. सुरजा
18. गुलाबचन्द पुत्र लादा
19. गंगू पुत्र लादा
20. लक्ष्मण पुत्र लादा
21. मूंगा पुत्र लादा समस्त जाति जाट निवासी ग्राम नांगलकला तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 11.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वह वाके ग्राम नांगलकलां तहसील चौमू में स्थित हाल खाता संख्या 154 में वर्णित खसरा नम्बर 658, 659, 660, 680, 681, 682, 683, 684, 686 कुल किता–9 का कुल रकबा 8.02है0 भूमि स्थित है जो सम्पूर्ण प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा ग्राम नांगलकला मे

Scanned by CamScanner

स्थित आराजी खसरा नम्बर 661, 662, 668, 644, 664, स्थित हैं जो कि अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 20 की भूमि है तथा मद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि के लगवा मद संख्या 2 मे वर्णित अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 20 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि है। मद संख्या संख्या 1 में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 16.11.2016 को भू–प्रबन्धक अधिकारी जयपुर के पत्रांक 1472 दिनांक 07.11.2016 व उप तहसीलदार गोविन्दगढ के पत्रांक 1473 दिनांक 07.11.2016 की पालना में बहमराह पटवारी हल्का नांगलकला व भू–प्रबन्धक विभाग की तकनीकी टीम के साथ ग्राम ग्राम नांगलकला के खसरा नम्बर 658, 659, 660, 680, 681, 682, 683, 684,व 686 के सीमाज्ञान हेतु मौके पर पहुचा। मौके पर खातेदार काश्तकार पडोसी उपस्थित आये । उपस्थित के समक्ष भू–प्रबन्धक विभाग की तकनीकी सहयोग दल द्वारा मौके व नक्शे के मुस्तकिल निशानात खसरा पम्बर 649, 599, 681, 693, 707, व 709 को जरीब चलाकर चैक किया व खसराद नम्बर 655, 656, 687 व 689/1219 के बीच का चौमेडा को जरीब चलाकर चैक किया उप तहसील कार्यालय मे उपलब्ध शीट नक्शा के स्क्वायर को चैक किया तो स्क्वायर सही पाये गये । नक्शे में अंकित चाह खसरा नम्बर 681 व 693 मौका नक्शा सही पाये गये । जिनसे जरीब चलाकर चैक करने पर आराजी खसरा नम्बर 655, 656, 687, व 689/1219 के बीच का चौमेडा मौका नक्शा सही पाया। इस प्रकार खसरा नम्बर 681, 693 व पूर्वोक्त चौमेडा से जरीब चलाकर खसर नम्बर 658, 659, 660, 680, 681, 682, 683, 684, व 686 का दिनांक 18.11.2016 तक सभी सीमाओ का सीमाज्ञान कराया गया। इस प्रकार उपस्थित प्रार्थी खातेदारान को सीमाओं का सीमाज्ञान कराया गया फर्द मौका पढ सुना कर हस्ताक्षर करवाये गये। जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत मकरना अनिवार्य हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 658, 659, 660, 680, 681, 682, 683, 684, 686 कुल किता–9 का कुल रकबा 8.02है0 भूमि की पत्थरगढी के आदेश फरमायें एवं इस हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को आदेशित किये जाने की कृपा करे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 16.11.2016 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फराल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 16.11.2016 के अनुसार उभयपक्षकारो को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.02.01 11:42:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: